भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 913

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**पुलिस स्टेशनों पर कानूनी सहायता का प्रावधन**

**913. श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुपालन में थानों में लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कदम उठाए है ;

(ख) यदि हां, तो कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं/विनियम बनाए गए है और विगत एक वर्ष के दौरान थानों में कुल कितने लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस संबंध् में कोई योजना बनाने का विचार रखता है?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** संविधान के अनुच्‍छेद 39क के अधीन, सरकार और न्‍यायपालिका निर्धन व्‍यक्‍ति, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता देने के लिए और समान अवसर के आधार पर न्‍याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं । वर्तमान में विधिक सहायता पात्र व्‍यक्‍तियों को पुलिस थाने पर और जब ऐसी सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्‍त किया जाए, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है ।

**(ख) और (ग) :** पुलिस थानों पर व्‍यक्‍तियों को मुफ्त विधिक सहायता देने के लिए कोई विशिष्‍ट स्‍कीम नहीं है। अपितु, पुलिस अभिरक्षा में ऐसे सभी व्‍यक्‍ति जो विधिक सहायता की अपेक्षा करते हैं उन्हें ऐसे अधिवक्‍ताओं, जिनका पैनल राज्‍य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है, के माध्‍यम से, अपेक्षित सेवाएं प्रदान की जाती हैं । राष्‍ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार 7.41 लाख अभिरक्षाधीन व्‍यक्‍तियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के 1995 में प्रचालन से विभिन्‍न विधिक सेवा संस्‍थाओं के माध्‍यम से सितंबर, 2017 तक विधिक सेवा प्रदान की गई है । ऐसे व्‍यक्‍ति जिन्हें पुलिस थानों पर विधिक सहायता प्रदान की जाती हैं के राज्‍यवार आंकड़े केंद्रीयकृत रुप से नहीं रखे जाते हैं । इस समय पुलिस थाने पर व्‍यक्‍तियों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक पृथक स्‍कीम विकसित करने का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*